10/07/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

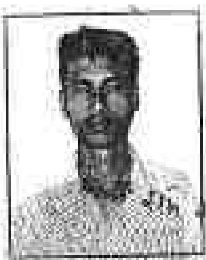

28 JUN 2011

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: बरौना
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या-136, 137, 1624/1
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर

क्रमांक [illegible] 12065

[illegible] की तिथि [illegible] 20-7-11

[illegible]

[illegible] रवि राजीवन S/o [illegible]

[illegible]

[illegible] शुक्ला ([illegible])

[illegible] 1950

[illegible] 31-3-2011

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 131009
28 JUN 2011

6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.1895 हैक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 5,66,678/-
11.	बयाना	: रू0 5,61,678/-
12.	मालियत	: रू0 4,26,375/-
13.	स्टाम्प	: रू0 39,800/-

12966

08-7-11

2222

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 JUN 2011

चौहद्दी

<u>खसरा नं0 136</u>

पूरब	: भूमि खसरा संख्या–137
पश्चिम	: भूमि खसरा संख्या–134
उत्तर	: भूमि खसरा संख्या–132
दक्षिण	: भूमि खसरा संख्या–135, 138

<u>खसरा नं0 137</u>

पूरब	: भूमि खसरा संख्या–139
पश्चिम	: भूमि खसरा संख्या–136
उत्तर	: भूमि खसरा संख्या–132
दक्षिण	: भूमि खसरा संख्या–138, 143

12867

08-7-11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 132050

28 JUN 2011

खसरा नं० 1624/1

पूरब	:	भूमि खसरा संख्या- [illegible]
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या- 898
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या- 1623, 1624 व 1615
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या- 1626, 889

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण	:	क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण
श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी -शिवढरा, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		राम सजीवन पुत्र गोदू, निवासी- ग्राम-पूरे गिद्धी, कलौली, गुरुबक्शगंज, जिला-रायबरेली। व्यवसाय-कृषि

[illegible signature] [illegible signature]

3334

क्र० संख्या ....

स्टाम्प विक्रय की तिथि 08-07-11

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... राम सजीवन S/o मौदू

.... लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि 5000/-

मो० अमीर सिद्दीकी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेन्स संख्या 200/03

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014

प्रधान पो० आफिस सिविल विंग, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 132049

28 JUN 2011

-3-

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी-शिवढ़रा, लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवम्

राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी- ग्राम-पूरे मिढ्ढी, कलौली, गुरूबक्शगंज, जिला-रायबरेली, जिन्हे आगे क्रेता/द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित हुआ।

क्र० संख्या 3333

स्टाम्प विक्रय की तिथि 28-07-11

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन शपथ०

क्रेता का नाम व पिता का नाम/पूरा पता राम सजीवन पुत्र श्री मोहन

लखनऊ

स्टाम्प का मूल्य 50/-

मो० अनिल त्रिपाठी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस संख्या 2/2003

नवीनीकरण की अवधि 31-3-2014

सिविल कोर्ट लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 332048

28 JUN 2011

यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या-00612, फसली वर्ष 1413 से 1418 के खसरा संख्या-136 रकबा 0.0570 हेक्टेअर, खसरा संख्या-137 रकबा 0.1320 हेक्टेअर, खसरा संख्या-1624/1 रकबा 0.1900 हेक्टेअर कुल तीन किता व कुल रकबा 0.3790 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.18950 हेक्टेअर, स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक कामिल व काबिज हैं, तथा विक्रेता/प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में लगभग 22 वर्ष से बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

3332

रा० राम सजीवन प्र० मौर्य

SOW

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V [illegible]

यह कि उक्त भूमि असंक्रमणीय दर्ज है, उक्त कृषि भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है, उक्त कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुवादगा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण, सरकारी या गैर सरकारी कार्यवाही आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा कर तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता/प्रथम पक्ष, क्रेता/द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमि में

आदर्श कोषागार

दिनांक

मूल्य

नाम

द्वारा

उप निदेशक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108372

2? JUN 201?

हस्तान्तरण नहीं हो पाता है और प्रस्तावित क्रेता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल किया जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

अब बजरूरत खुद के उसी किता कृषि भूमि स्थित ग्राम-बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ को खूब-सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी चीज व हक व जुज के मिल एवज रू0 5,66,678/- (रूपया पाँच लाख छाछठ

आदर्श [illegible] [illegible]
दि० [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108369

हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) में क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त के हक में बेचना तय पाया है। लिहाजा हम उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तयशुदा कीमत में से क्रेता/द्वितीय पक्ष ने विक्रेता/प्रथम पक्ष को रू0 5,61,678/- (रूपया पाँच लाख इकसठ हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) बयाना के तौर पर नीचे दिये गये विवरण के

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108370

अनुसार अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं।

2. यह कि बकाया रुपया रु0 5,000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) क्रेता/द्वितीय पक्ष, विक्रेता/प्रथम पक्ष को बरवक्त रजिस्ट्री अदा करेगा।

3. यह कि उक्त भूमि असंक्रमणीय दर्ज है, उक्त कृषि भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है, उक्त कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिस्ल,

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108371

रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा कर तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता/प्रथम पक्ष, क्रेता/द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमि में हस्तान्तरण नहीं हो पाता है और क्रेता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल किया

[illegible] 149371
1100
22/11/2018
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 290746

18 MAY 2011

जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

4. यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बयनामा निष्पादित करने में हीला-हवाली करता है तो क्रेता/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बजरिये अदालत उक्त भूमि का रजिस्ट्री बयनामा अपने हक में करा लेवे तथा उक्त अदालती कार्यवाही में होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी विक्रेता/प्रथम पक्ष की होगी।

[illegible]

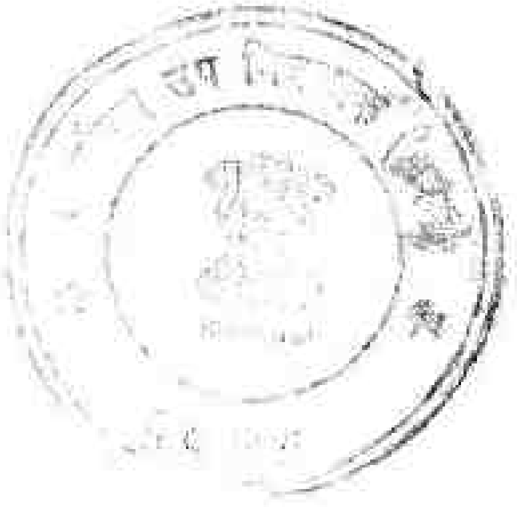

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 068694

21 JUN 2011

5. यह कि यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे, अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा खर्चा ब्याज प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान हर्जा-खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के

(৮)১/৪৭১

কাম ২২০/৫০

৬

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 068695

-14-

पूर्व का कोई बकाया यदि सम्पत्ति पर होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उनके वारिसान की होगी।

6. यह कि रजिस्ट्री बयनामा निष्पादन में होने वाले खर्च जैसे कि स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की जिम्मेदारी क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त की होगी।

7. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा कब्जा दिया जा रहा है। विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 068696

8. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबन्ध की शर्तें हम विक्रेता/प्रथम पक्ष व उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक व क्रेता/द्वितीय पक्ष के विधिक वारिसान आदि पर भी लागू होंगी।

9. यह कि उपरोक्त भूमि ग्राम करौना, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 22,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की भूमि

रकबा 0.18950 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,26,375/- होती है, जो विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 39,800/- के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहे हैं।

10. यह कि आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां संचालित हैं।

11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

12. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

<u>बयाना धनराशि प्राप्ति का विवरण</u>

1. रू0 1,30,839/- (रूपया एक लाख तीस हजार आठ सौ उन्तालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-842289, दिनांकित 05.07.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।
2. रू0 1,30,839/- (रूपया एक लाख तीस हजार आठ सौ उन्तालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-842290, दिनांकित 05.07.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।
3. रू0 3,00,000/- (रूपया तीन लाख मात्र) नगद।

इस प्रकार कुल बयाना राशि रू0 5,61,678/- (रूपया पाँच लाख इकसठ हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से वसूल पाया।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष ने बिला जोर दबाव नाजायज किसी शख्स के स्वस्थ मस्तिष्क, स्वतन्त्र सहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर आज दिनांक 05 जुलाई सन् 2011 को तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

नोट : **<u>पृष्ठ संख्या-4 पर खसरा संख्या-1624/1 की चौहद्दी काले पेन से लिखी गई हैं।</u>**

लखनऊ

दिनांक :- 11.07.2011

गवाहान:-

1. Arshad Sayed
24 Mashkganj
Faizabad Road
Lucknow.

विक्रेता/प्रथम पक्ष

2. Sleshir Kumar Gupta
E-3068 Rajajipuram
Lucknow

क्रेता/द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(पाली अनुराग)
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

561,000.00   10,000.00   20   10,020.00   1,000

566,678.00   अग्रिम धनराशि   फीस रजिस्ट्री   नकल व प्रति शुल्क   योग   शब्द लगभग

प्रतिफल   मालियत

श्रीमती   शान्ती देवी

पत्नी श्री   जगदीश प्रसाद

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी   बिजनौर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में   दिनांक 11/7/2011   समय 4:45PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती शान्ती देवी

पत्नी श्री जगदीश प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी बिजनौर लखनऊ

क्रेता

श्री राम सजीवन

पुत्र श्री गोपू

पेशा कृषि

निवासी पूरे निर्मल कालोनी जिला रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री   बी0 सी0 अग्रवाल

पुत्र श्री   मनोहरलाल अग्रवाल

पेशा   वकालत

निवासी   24 ... नगर लखनऊ

व श्री   टी0के0 शुक्ला

पुत्र श्री   शिव कुमार शुक्ला

पेशा   व्यापार

निवासी   राजाजीपुरम लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

ग्राम → बरौनी

खसरा नम्बर → 132, 133, 1824(1)

[illegible] → [illegible]

[illegible] → [illegible]

[illegible]

[illegible]

विक्रेता

Registration No: 10107 Year: 2011 Book No.: 1

0101 शान्ती देवी

[illegible] प्रसाद

[illegible]

कृषि

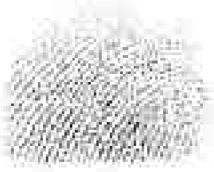

ग्राम → ₹21 का

आराजी संख्या → 13६, 137, 16९/1

क्रेता → राम ...

विक्रेता → राधे ...

नक्शा

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

Registration No.: 10107 Year: 2,011 Book No.: 1

0201 राम कलीराम

नेपु

ग्रा निठुरी कसौली जिला रायबरेली

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता–श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी –सिपहरा, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

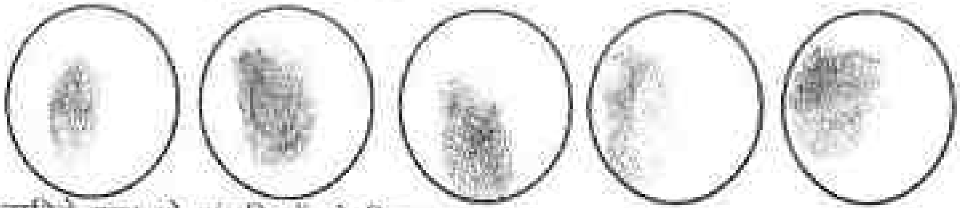

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता–राम सजीवन पुत्र मोद्, निवासी– ग्राम–पूरे मिट्ठी, कनौली, गुरुबक्शगंज, जिला–रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

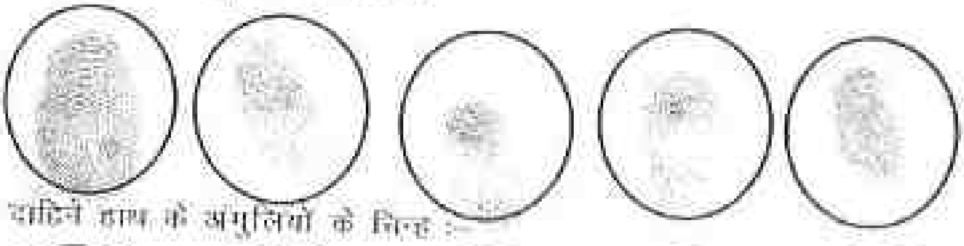

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

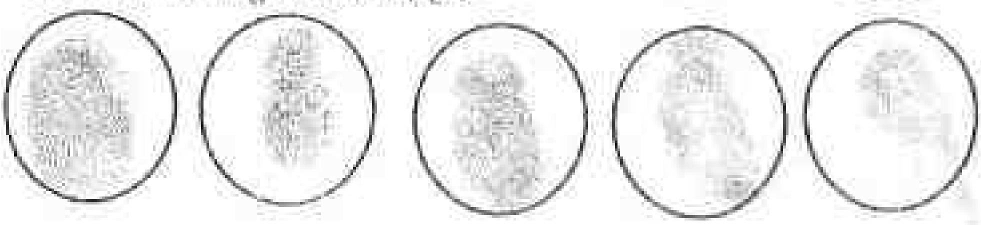

हस्ताक्षर क्रेता

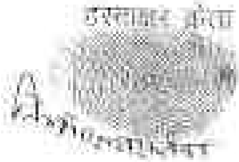

आज दिनांक **11/07/2011** को

बही सं **1** जिल्द सं **12975**

पृष्ठ सं **389** से **428** पर क्रमांक **10107**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011